सं.No.2011-B-108

नई दिल्ली, दिनांक New Delhi, dated 06.08.2020

महाप्रबंधक.

मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, पश्चिम

पूर्व मध्य, पूर्व तट, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और मेट्रो रेलवे (कोलकाता)

The General Managers,

Central, Eastern, Northern, North Eastern, Northeast Frontier, Southern, South Central, South Eastern, Western East Central, East Coast, North Central, North Western, South East Central, South Western, West Central & Metro Rly (Kolkata)

विषय — 2020-21 के दौरान विशेष प्रयोजन भंडार हेतु अग्रिम आवंटन Sub - Advance Allotment for General Purpose Stores during 2020-21

2020-21 के दौरान सामान्य प्रयोजन भंडारों के लिए वचनबद्धताओं को पूरा करने और 2021-22 में अथवा तदनंतर ऐसे भंडारों की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित राशि के अग्निम आवंटन हेतू बोर्ड की स्वीकृति एतदृद्वारा संसूचित की जाती है.

The approval of Board is hereby communicated to the advance allotment of the following sums for entering into commitment for General Purposes Stores during 2020-21 for deliveries in 2021-22 or thereafter:-

(आंकड़े हजार रुपयों में | Figures in thousands of rupees)

रेलवे / Railway	राशि /Amount
मध्य / Central	4750903
पूर्व / Eastern	7883042
उत्तर / Northern	7580285
पूर्वोत्तर / North Eastern	3514244
पूर्वोत्तर सीमा / Northeast Frontier	3192902
दक्षिण / Southern	6211956
दक्षिण मध्य / South Central	4202280
दक्षिण पूर्व / South Eastern	4366994
पश्चिम / Western	3834890
पूर्व मध्य / East Central	1726145
पूर्व तटीय / East Coast	1919913
उत्तर मध्य / North Central	3729797
उत्तर पश्चिम / North Western	3271126
दक्षिण पूर्व मध्य / South East Central	2052617
दक्षिण पश्चिम / South Western	2622356
पश्चिम मध्य / West Central	4023902
मेट्रो रेलवे कोलकाता / Metro Railway Kolkata	250410

2. 2020-21 के दौरान कोयला, कोक व ईंधन तेलों के लिए वचनबद्धताओं हेतु और ऐसे भंडारों की 2021-22 में सुपुदगी हेतु निम्नलिखित अग्रिम आवंटन के लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

Approval is also communicated for the following advance allotment for entering into commitments for Coal, Coke & Fuel Oil during 2020-21 for delivery of such stores in 2021-22

(आंकड़े हजार रुपयों में। Figures in thousands of rupees)

रेलवे / Railway	राशि /Amount
मध्य / Central	2929094
पूर्व / Eastern	1598806
उत्तर / Northern	7831273
पूर्वोत्तर / North Eastern	3130730
पूर्वोत्तर सीमा / Northeast Frontier	2933666
दक्षिण / Southern	1625433
दक्षिण मध्य / South Central	3692727
दक्षिण पूर्व / South Eastern	490382
पश्चिम / Western	2697820
पूर्व मध्य / East Central	2332566
पूर्व तटीय / East Coast	2045554
उत्तर मध्य / North Central	1159259
उत्तर पश्चिम / North Western	4581489
दक्षिण पूर्व मध्य / South East Central	674850
दक्षिण पश्चिम / South Western	2447438
पश्चिम मध्य / West Central	1767197
मेट्रो रेलवे कोलकाता / Metro Railway Kolkata	0

newe

रेलवे बोर्ड चाहता है कि वर्तमान में खरीद करते समय निधियों के अग्रिम आवंटन में से की गई वचनबद्धताओं को ध्यान में रखा जाए ताकि वर्ष के दौरान होने वाली कुल खरीद 2021-22 के बजट आवंटन, जो कि समुचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, से अधिक न हो.

Railway Board desire that commitments made out of the advance allotment of funds should be kept in view while making purchases currently so that the total purchases materialising during the year do not exceed the Budget allotment for 2015-16 which will be made at appropriate stage.

- यह स्निश्चित किया जाए कि निविदाओं का प्रमाणन स्वीकृत आवंटन से अधिक न हो. 4. It should be ensured that the indents are not certified in excess of the allotment sanctioned.
- रेलें यह नोट करें कि बोर्ड के पत्र सं. 82/आरएस(आईसी)/165/7 दिनांक 24.6.1985 के अंतर्गत यह दोहराया गया था कि विभिन्न राजस्व एबस्ट्रेक्ट को डेबिट योग्य सीधी सुपूर्दगी भंडारों के विषय में निधियों का प्रमाणन सामान्य प्रयोजन भंडारों हेत् अग्रिम आवंटन के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही किया जाए और ऐसी नॉन स्टाक मदों का प्रमाणन पिछले वर्ष सामान्य प्रयोजन भंडारों (कोयला, ईंधन व ग्रेन शाप भंडारों को छोड़कर) की वास्तविक खरीद 5% से अधिक न हो और किसी राशि के प्रमाणन से पूर्व ऐसी मदों को पी.एल नंबर अवश्य देना होगा.

Railways should note that vide Board's letter No.82/RS(IC)/165/7 of 24.6.1985, it was reiterated that certification of funds in respect of direct delivery stores debitable to various Revenue abstracts should be within the stipulated ceiling limit for advance allotment of General Purposes Stores and the certification of such non-stock items should not exceed 5% of actual purchases of General Purposes stores (excluding coal, fuel and grain shop stores) of the preceding year and it will be mandatory to give P.L. Nos. to such items before certifying any amount.

(महेश कमार तिवारी Mahesh Kumar Tiwari)

उप निदे.वित्त (बजट) / Dy.Dir.Fin(Budget) रेलवे बोर्ड / Railway Board

सं.No.2011-B-108

नई दिल्ली. दिनांक New Delhi, dated 06.08.2020

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy forwarded to :-

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें / The Pr. Directors of Audit, All Indian Railways.

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें / The Pr.Financial Advisors, All Indian Railways. 2.

3.

भंडार नियंत्रक, सभी भारतीय रेलें / The Controllers of Stores, All Indian Railways. रेलवे संपर्क अधिकारी, जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली - सूचनार्थ / The RLO, Jeevan Tara Building, New Delhi - for information

(महेश कमार तिवारी Mahesh Kumar Tiwari)

उप निदे.वित्त (बजट) / Dy.Dir.Fin(Budget) रेलवे बोर्ड / Railway Board

प्रतिलिपि / Copy to : निदे रेल भंडार(आईसी) व आरएस(आईसी) शाखा, रेलवे बोर्ड / DRS(IC) & RS(IC) Br, Railway Board.